यालय उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला. पाली) राज०

रीन अधिकारी : श्री घनश्याम शर्मा, आर०ए०एस०

वाद संख्या : 267/2011

र्या :- बनाम प्रतिवादीगण :-

दरियाव पत्नी लक्ष्मणराम
ते-बावरी, निवासी-गुण्डावा
शील-जैतारण,जिला-पाली(राज.)

1-नाथी पत्नी सोहनराम
2-चांदू पत्नी पोकरराम
जाति-बावरी, निवासीगण-गुण्डावा
3-उप पंजियन अधिकारी जैतारण तहसील
जैतारण जिला-पाली (राज.)

राजस्व वाद बाबत् बंट्वाड़ा एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53, 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 तारीख रजू:.02/11/2011

उपस्थित: 1. श्री देवाराम कटारिया, अधिवक्ता, वादी।
2. श्री चावण्डदान बारहठ, अधिवक्ता, प्रतिवादी।

-:: निर्णय ::- दिनॉक: 23/06/2015

वकील मय वादीया ने एक राजस्व वाद बाबत् बंट्वाड़ा एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53, 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, विरूद्ध प्रतिवादी इस आशय का प्रस्तुत कर निवेदन किया हैं कि सरहद मौजा-गुण्डावा, पटवार हल्का-घोड़ावड़, तहसील-जैतारण, जिला-पाली में खसरा नम्बर 193 रकबा 5 बीघा 6 बिरवा किस्म सेवज दोयम, वादीया व प्रतिवादी संख्या 1 से 2 की शामलाती कब्जे काश्त की कृषि भूमि आई हुई है। जमाबंदी नकल के साथ पेश है। उपरोक्त कृषि भूमि में वादीया का 1/3 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 1 से 2 का भी 1/3 हिस्सा 1/3 हिस्सा आता है व माफिक कब्जे व हिस्सेनुसार सहमती से बंट्वाड़ा कर काबिज है। वादीया का नजरी नक्शे में दर्शाया एक्स हिस्सा जो प्रतिवादी संख्या 2 चांदू का वाई हिस्सा व प्रतिवादी संख्या एक का नाथी का जेड़ हिस्सा आया हुआ हैं व बराबर-बराबर अपने हिस्से अनुसार काबिज है। वादिया नजरी नक्शे में दर्शाये पीले रंग मार्क ए,बी,सी,डी के बीच पडौसान के काबिज व काश्त करती आ रही हैं व लाखो रूपये लगाकर अपनी भूमि को उपजाऊ बनाया है। प्रतिवादी संख्या एक व दो लालच में आकर जिस स्थान पर वर्षो से वादीया काबिज है। उक्त कृषि भूमि को बेचान करना चाहती है। जबकी उनको ऐसा करने का कोई कानूनी अधिकार प्राप्त नही है। प्रतिवादी संख्या एक व दो को कई बार कानूनन बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस बंट्वाड़ा करने का निवेदन किया। लेकिन वह नही मानी व कल दिनांक 01/11/2011 को वादीया के पास आकर प्रतिवादीगण ने एलानिया धमकी दी कि उक्त भूमि को उप पंजीयन अधिकारी, जैतारण के यहा पर चलकर तेरी एक हिस्से की भूमि की रजिस्ट्री करवा देंगे व अजनबी क्रेता को बेचान कर देंगे। यदि प्रतिवादीगण ने ऐसा अवैधानिक कृत्य किया या वादीया के हक हिस्से की भूमि में दखलन्दाजी की तो वादीया को अपूर्णिय क्षति होगी, जिसकी क्षतिपूर्ति किसी भी कदर संभव नही हो सकेगी एवं होने वाली क्षति का मूल्यांकन मूद्रा में नही किया जा सकता है। तब वादीया प्रतिवादीगण के ऐसे अवैधानिक कृत्य का विरोध करेगी। जिससे मौके पर विवाद होगा। तब इन तमाम परिस्थितियो में वादीया के पास अन्य कोई विकल्प शेष नही रहने से यह वादपत्र बाबत बंट्वाड़ा व स्थाई निशेधाज्ञा का विरूद्ध प्रतिवादीगण के पेश है। बिनाय वाद दिनांक 01/11/2011 को वादीया को प्रतिवादीगण द्वारा बंट्वाड़ा करने से ईन्कार करने

उप खण्ड अधिकारी
जैतारण, (पाली)

Scanned by CamScanner

वादीया के हक हिस्से की आराजी से बेदखल करने व जबरदस्ती उसकी भूमि को न करने की एलानिया धमकी देने पर मुकाम-गुण्डवा, तहसील-जैतारण (पाली) में पैदा है, जो अन्दर म्याद व श्रीमान के क्षेत्राधिकार में है व अन्दर म्याद पेश है।

वादीया का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी को तलब किया गया। ावली राजस्व लोक अदालत में पेश हुई। पक्षकार आपस में राजीनामा करना चाहते हैं। जमा-ए-आम में पक्षकार द्वारा प्रस्तुत वाद के बटवाड़े के लिए पटवारी हल्का द्वारा मौके ही प्रस्तुत किया गया। पक्षकारान में फर्द बटवाड़ा पर अपने हस्ताक्षर किए। बंटवाड़ा अनुसार वादी को ख.न. 193 रकबा 1 बीघा 13 बिस्वा प्रतिवादी सं. 1 को खसरा म्बर 193/1 रकबा 1 बीघा 13 बिस्वा एवं प्रतिवादी सं. 3 को खसरा नम्बर 193/2 कबा 1 बीघा 16 बिस्वा का बंटवाडा किया हैं, जो पक्षकारान ने राजीमंदी से किया है। र्द बंटवाडा शामिल किया जाना उचित समझते हैं।

-:: आदेश ::-

अतः माफिक राजीनामा / सहमति विभाजन रिपोर्ट मय नजरी नक्शा डिक्री बहक ादीया विरूद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती हैं कि सरहद मौजा-मुण्डावा, पटवार हल्का-घोड़ावड़, तहसील-जैतारण, जिला-पाली में खसरा नम्बर 193 रकबा 5 बीघा 6 बिस्वा किस्म सेवज दोयम भूमि में वादीया की भूमि का पक्षकारानों में निम्नांकित रूप से बंटवाड़ा किया जाता हैं :-

क्र. सं.	नाम खातेदारान मय वल्दियत व सकूनत	खसरा नम्बर	रकबा बीघा बिस्वा बिस्वांसी	किस्म	लागान
1	दरियादेवी पत्नि लक्ष्मणराम कौम-बावरी सा0 देह खातेदार।	193	1-15-00	से0दो0	1.66 रू0
2	नाथीदेवी पत्नि सोहनराम कौम-बावरी सा0 देह खातेदार।	193/1	1-15-00	से0दो0	1.66 रू0
3	चान्दु पत्नि पोकरराम कौम-बावरी सा0 देह खातेदार।	193/2	1-16-00	से0दो0	1.68 रू0
	योग	3	5-06-00	से0दो0	

तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल-दरामद किया जावें। वादी के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी करने से प्रति0 को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा रोका जाता हैं। डिक्री पर्चा बनाया जाकर पत्रावलीबद्ध किया गया। तहसीलदार जैतारण को डिक्री पर्चा एवं राजीनामा / सहमति विभाजन रिपोर्ट मय नजरी नक्शा की प्रति भेजकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर /लेख्य भण्डार जमा हो।

उपखण्ड अधिकारी,जैतारण
जिला-पाली (राज0)

निर्णय आज दिनॉक 23/06/2015 को राजस्व लोक अदालत आयोजित अटल सेवा केन्द्र शिविर -घोड़ावड़ पर सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी,जैतारण
जिला-पाली (राज0)

Scanned by CamScanner

डिक्री बमुकदमें इब्तदाई

(ओ 21 रूल 6,7 जाब्ता दीवानी)

अदालत :- उपखण्ड अधिकारी, मुकामः- जैतारण

इजलास :- श्री घनश्याम शर्मा, आर0ए0एस0

वादियां :- बनाम प्रतिवादीगण :-

दरियाव पत्नी लक्ष्मणराम

जाति-बावरी, निवासी-मुण्डावा

तहसील-जैतारण,जिला-पाली(राज.)

1-नाथी पत्नी सोहनराम

2-चांदू पत्नी पोकरराम

जाति-बावरी, निवासीगण-मुण्डावा

3-उप पंजियन अधिकारी जैतारण तहसील

जैतारण जिला-पाली (राज.)

राजस्व वाद बाबत् बंटवाड़ा एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53, 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

मु0न0 :रा0वा0 स0:267/2011

यह मुकदमा आज वास्ते ईनफिसाल कतई रूवरू ....-......... व हाजरी श्री देवाराम कटारिया, अधिवक्ता, वादी मिनजानिब मुद्धई व श्री चावण्डदान बारहठ, अधिवक्ता, प्रतिवादी मिनजानिब मुद्धायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि माफिक राजीनामा / सहमति विभाजन रिपोर्ट मय नजरी नक्शा डिक्री बहक वादीया विरूद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती हैं कि सरहद मौजा-मुण्डावा, पटवार हल्का-घोड़ावड़, तहसील-जैतारण, जिला-पाली में खसरा नम्बर 193 रकबा 5 बीघा 6 बिस्वा किस्म सेवज दोयम भूमि में वादीया की भूमि का पक्षकारानों में निम्नांकित रूप से बंटवाड़ा किया जाता हैं :-

क्र. सं.	नाम खातेदारान मय वल्दियत व सकूनत	खसरा नम्बर	रकबा बीघा बिस्वा बिस्वांसी	किस्म	लागान
1	दरियादेवी पत्नि लक्ष्मणराम कौम-बावरी सा0 देह खातेदार।	193	1-15-00	से0दो0	1.66 रू0
2	नाथीदेवी पत्नि सोहनराम कौम-बावरी सा0 देह खातेदार।	193/1	1-15-00	से0दो0	1.66 रू0
3	चान्दु पत्नि पोकरराम कौम-बावरी सा0 देह खातेदार।	193/2	1-16-00	से0दो0	1.68 रू0
	योग	3	5-06-00	से0दो0	

तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल-दरामद किया जावें। वादी के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी करने से प्रति0 को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा रोका जाता हैं। तहसीलदार जैतारण को डिक्री पर्चा एवं राजीनामा / सहमति विभाजन रिपोर्ट मय नजरी नक्शा की प्रति भेजकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर /लेख्य भण्डार जमा हो।

बीज .....-.....मुबलिक.....-.....बाबत......-.....खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर .... -......फीस सदी सालाना आज की तारीख वसूल याबी तक .....-......को अदा करें ।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज तारीख 23/06/2015 को जारी किया गया ।

मोहर

उपखण्ड अधिकारी जैतारण
जिला-पाली

Scanned by CamScanner

ई	रूपये पैसे	मुद्धायलाह	रूपये पैसे
म्प अर्जी दावा	01 - 00	स्टाम्प वकालतनामा	01 - 00
म्प वकालतनामा	01 - 00	स्टाम्प अर्जी	01 - 00
म्प वजह सबूत	02 - 00	महनताना वकील	
नताना वकील	03 - 00	खर्चा गवाहान	
र्चा गवाहान		फीस कमीश्नर	
स कमीश्नर		बाबत ईजराय हुक्मनामा	
बत ईजराय हुक्मनामा		मुत्फरिक	
मिजानः-	07 - 00	मिजानः-	02 - 00

ोटः- इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा यह हो फरीकेन को चाहे डिक्री के जरिए दिलाया ाया हो, नहीं दर्ज किया जावें ।

Scanned by CamScanner